[2019] 3 एस. सी. आर. 200

ई. डी. पी. ए. डी. के. पलानीस्वामी

वी.

टी. टी. वी. ध्यानकरण और ओ. आर. एस.

(एम. ए. सं. 31)

में

(2018 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 7258)

फरवरी 07,2019

[ए. एम. खानविलकर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

चुनाव कानून-राजनीतिक दल के नाम/प्रतीक का उपयोग, जब पंजीकृत मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का प्रत्येक गुट दावा करता है।

वास्तविक पक्ष होने के लिए और इस तरह का विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है-तत्काल मामले में, भारत निर्वाचन आयोग (ई. सी. आई.) ने प्रतिवादी Nos.4 के 6 और एस. एल. पी. याचिकाकर्ता ई. के. पी. के दावे को स्वीकार कर लिया था कि प्रतिवादी संख्या 4-ई. एम. के नेतृत्व वाला समूह मूल पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल के नाम का उपयोग करने का हकदार था और प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 3-वी. के. एस. के दावे को खारिज कर दिया कि वी. के. एस. के नेतृत्व वाला समूह वास्तविक समूह था और पार्टी ए. आई. ए. डी. एम. के. के नाम और प्रतीक का उपयोग करने का हकदार था-निर्णय पर हमला करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर लिखित याचिका।

निर्वाचन आयोग की-उक्त रिट याचिका अभी भी लंबित है-इस बीच, जैसे ही तमिलनाडु राज्य में चुनावों की घोषणा की गई, प्रतिवादी

नं. 1 और जिस समूह के वे सदस्य थे, उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक उपयुक्त नाम का उपयोग करने की अनुमति के लिए लंबित रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष एक अंतरिम आवेदन दायर किया-उच्च न्यायालय ने 9 मार्च, 2018 के आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी उक्त निर्णय से व्यथित, एसएलपी याचिकाकर्ता-ईकेपी

ई. एम. के नेतृत्व में समूह के कारण का समर्थन करते हुए एस. एल. पी. दायर की गई-जब संबंधित मामलों के साथ एस. एल. पी. को 28 मार्च, 2018 को सुनवाई के लिए लिया गया था, तो अदालत को यह बताया गया था कि स्थानीय निकायों के लिए आसन्न चुनावों को रद्द कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अंतरिम आवेदन स्थापित करने का आधार मौजूद नहीं था-इस मामले को देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को 28 मार्च, 2018 को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया था।

निर्देश कि ई. सी. आई. अपना आदेश नहीं सुनाएगा और मंजूरी दे दी

किसी भी अधिसूचना के मामले में पक्षों को इस अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता

200 ई. डी. पी. ए. डी. के. पलानीस्वामी बनाम। टी. टी. वी. दिनकरन

एक चुनाव के लिए-तदनुसार एसएलपी का निपटारा किया गया-प्रतिवादी संख्या 1 ने तत्काल आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा 31 दिसंबर, 2018 को उपचुनाव अधिसूचित किया गया था और मतदान की तारीख 28 जनवरी, 2019 के लिए निर्धारित की गई थी-एसएलपी याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या। 4 6 के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 ने इस आवेदन की रखरखाव के बारे में प्रारंभिक आपत्ति जताई-आयोजितः 28 मार्च, 2018 के आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के आलोक में, प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन के कारण तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था-चूंकि एसएलपी को स्पष्ट रूप से निपटाने के बावजूद पक्षों को स्वतंत्रता दी गई थी, इसलिए इस आवेदन पर विचार नहीं किया गया, केवल इसलिए कि 28 मार्च, 2018 के आदेश में दर्ज है कि एसएलपी का निपटान किया गया है, यह पूरी तरह से तुच्छ होगा।

विशिष्ट तथ्य स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पक्षों को दी गई स्वतंत्रता की भावना-प्रतिवादी संख्या 1 को इस आवेदन में दावा की गई राहत के लिए उच्च न्यायालय में वापस जाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसी तरह की राहत पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 9 मार्च, 2018 को समूह के पक्ष में पहले ही विचार किया जा चुका था।

आवेदक द्वारा प्रतिनिधित्व-उक्त आदेश में एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशों को इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी दाखिल करके ईसीआई द्वारा स्वतंत्र रूप से चुनौती नहीं दी गई थी-इसके अलावा, डिवीजन बेंच के लिए 9 मार्च, 2018 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और अंतरिम आदेश में निपटाए गए मामलों का फिर से दौरा करना उचित नहीं हो सकता है, जिसे इस न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी Nos.4 से 6 और प्रत्यर्थी संख्या 2।

चुनाव कानून चाहे प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया कोई गुट न। 1 - टी. टी. वी. डी. और वी. के. एस. जो समर्थन रखने वाली वास्तविक पार्टी होने का दावा करते हैं

निर्वाचन आयोग के समक्ष विवाद की शुरुआत के समय सदस्यों के बहुमत और वह दावा अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, पहले खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए और प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करने के बाद मान्यता तभी एक आरक्षित प्रतीक के आवंटन और नाम के उपयोग के लिए अपना दावा स्थापित कर सकती है-आयोजितः रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, जैसे ही तमिलनाडु राज्य में चुनावों की घोषणा की गई और प्रतिवादी संख्या 1 और जिस समूह के वे सदस्य थे, वे चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने लंबित रिट याचिका-उच्च न्यायालय [2019] 3 एस. सी. आर. में उच्च न्यायालय के समक्ष एक अंतरिम आवेदन दायर किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी सं. द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए गुट को सामान्य प्रतीक आवंटित करने के लिए निर्देश जारी करना उचित समझा गया। 1 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जहां वे आगामी चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को नामित करेंगे-उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि सामान्य रूप से सामान्य प्रतीक केवल पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को आवंटित किया जा सकता है और यदि निर्वाचन आयोग अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा कर सकता है तो कब विवाद उसके समक्ष लंबित है, रिट अदालत के लिए उचित निर्देश पारित करने में कोई बाधा नहीं हो सकती है, विशेष रूप से जब किसी अन्य पक्ष के लिए कोई वास्तविक पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा और कौन सा गुट वास्तविक पक्ष है, इस बारे में दावा अभी भी अंतिम रूप से प्राप्त नहीं हुआ है और यह राजनीतिक क्षेत्र में एक समान अवसर सुनिश्चित करेगा।

संबंधित गुटों के लिए-उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि यदि निर्वाचन आयोग स्वयं को निर्णय के दौरान दोनों गुटों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करने में सक्षम समझता है

यदि विवाद उसके समक्ष लंबित है, तो इसका कोई कारण नहीं है कि उसी तर्क पर उच्च न्यायालय, समानता का न्यायालय होने के नाते, ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है, जब निर्वाचन आयोग का अंतिम निर्णय अभी भी उसके समक्ष चुनौती लंबित था-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951। 29ए -

भारत का संविधान-Art.226।

चुनाव कानून-चुनाव आयोग (ईसीआई) की शक्तियां-ईसीआई के पास पूर्ण शक्तियां हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है-प्रतीक आदेश का खंड 18 पहलू की भविष्यवाणी करता है

ई. सी. आई. द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी पूर्ण शक्ति-प्रतीक आदेश, 1968।

चुनाव कानून-दो गुटों को समान प्रतीकों का आवंटन

जब प्रतीक आदेश के तहत विवाद अभी भी चुनाव आयोग (ईसीआई) के समक्ष लंबित है-ईसीआई द्वारा आवंटन के संबंध में अंतरिम निर्देश-अनुमति-आयोजितः एक बार जब विवाद का अंत में ईसीआई द्वारा निर्णय ले लिया गया था, तो इसके तहत शक्तियों को लागू करने का सवाल था

इसके (ई. सी. आई.) द्वारा अनुच्छेद 18 उत्पन्न नहीं होगा-हालाँकि, यदि विवाद ई. सी. आई. के समक्ष जांच लंबित है या ई. सी. आई. का अंतिम निर्णय है

संवैधानिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में न्यायालय के अधीन,

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के हित में एक न्यायसंगत व्यवस्था प्रदान करना और सभी को समान स्तर का अवसर प्रदान करना।

संबंधित, एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवस्था होगी।

चुनाव कानून-क्या इसके लिए कोई बाधा थी

रिट अदालत (उच्च न्यायालय) उचित अंतरिम निर्देश पारित करे जबकि चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्णय की वैधता उप ईडीएपीएडीडीआई के. पलानीस्वामी बनाम है।

टी. टी. वी. दिनकरन

इससे पहले न्याय हुआः उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना सही था कि न्याय करने और सभी संबंधित लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए और

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने सहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखना, अंतरिम व्यवस्था को जारी रखना न्यायसंगत और उचित होगा जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटन के संबंध में निर्देशित किया गया था।

राजनीतिक समूह के लिए सामान्य प्रतीक जिसका प्रतिनिधित्व प्रत्यर्थी सं। 1 विशेष रूप से जब इस तरह की राहत किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगी और न ही ईसीआई की शक्तियों का उल्लंघन करेगी

प्रतीक आदेश, 1968।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951। 29 ए-आवंटन

एक सामान्य प्रतीक का-यदि राजनीतिक समूह एस के तहत पंजीकृत नहीं है। 291951 के अधिनियम के ए और प्रतीक आदेश, 1968 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं है, यह एक सामान्य प्रतीक के आवंटन का दावा करने का हकदार नहीं हो सकता है जो एक पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए आरक्षित है-पैराग्राफ 9 से 11 ऐसे पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पर लागू होंगे जो एक आरक्षित प्रतीक का विकल्प प्रदान करते हैं-किसी भी अन्य उम्मीदवार या अपंजीकृत या गैर-मान्यता प्राप्त दल से संबंधित उम्मीदवार के लिए, उनके दावे को प्रतीक आदेश, 1968 के पैराग्राफ 12 के तहत निपटाया जाएगा-निकटतम प्रावधान प्रतीक आदेश का पैराग्राफ 15 है, जो राजनीतिक दल के अलग-अलग समूहों या प्रतिद्वंद्वी गुटों के संबंध में ईसीआई की शक्तियों से संबंधित है-लेकिन एक बार उस विवाद का जवाब ईसीआई द्वारा दिया जाता है और यह कि

स्वयं को एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है और प्रतीक आदेश, 1968 के अनुच्छेद 6 ए से 6 सी में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही, जैसा लागू हो, दिया जा सकता है।

राष्ट्रीय या राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता-तत्काल मामले में, निर्वाचन आयोग का निर्णय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मूल पंजीकृत मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल होने के समूह या गुट का दावा उसके परिणाम के अधीन है-ऐसे समय तक, इस बात का कोई उचित कारण नहीं है कि 22 मार्च, 2017 के अंतरिम आदेश के संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा आदेशित अंतरिम व्यवस्था, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए समूह पर लागू होती है, जारी क्यों नहीं होनी चाहिए-28 मार्च, 2018 के आदेश के संदर्भ में जारी किया गया निर्देश, उच्च न्यायालय के 9 मार्च, 2018 के अंतरिम आदेश को स्थगित रखने के लिए और इसके परिणामस्वरूप निर्वाचन आयोग को इससे रोकने के लिए।

राजनीतिक [2019] 3 एस. सी. आर. द्वारा पसंद किए गए आवेदन पर अपने आदेश का उच्चारण करते हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए समूह को खाली करने की आवश्यकता है -

हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि रिट याचिका पर सुनवाई

इससे पहले कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ लगभग अंतिम चरण में पहुँच जाए, राहतों को ढालने के लिए उचित माना जाता है

निम्नलिखित शर्तें - (क) यदि आज से चार सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया जाता है,

ईसीआई द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए समूह के आवेदन को संसाधित करेगा

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 1

9 मार्च, 2018 के अंतरिम आदेश द्वारा और उपयुक्त आदेश जारी करके

दो सप्ताह के भीतर निर्देश (यानी चार सप्ताह और दो सप्ताह) सप्ताह, आज से)-(बी) घटना में, बताए गए की समाप्ति से पहले

इस अवधि में, निर्वाचन आयोग रिक्त विधानसभा के संबंध में उपचुनाव की घोषणा के लिए कोई भी प्रेस नोट या अधिसूचना जारी करने का इरादा रखता है।

तमिलनाडु राज्य में निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय चुनाव

2019 के लिए, जैसा भी मामला हो, यह 9 मार्च को उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुपालन में उचित निर्देश पारित करेगा।

2018 , इस तरह का प्रेस नोट जारी होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर या अधिसूचना और किसी भी मामले में, दाखिल करने के लिए अधिसूचित तिथि से पहले

नामांकनों में से, जो भी पहले हो-प्रतीक आदेश, 1968।

ज्योति बसु और ओआरएस। वी. देवी घोषाल और ओआरएस। (1982) 1

एससीसी 691: [1982] 3 एस. सी. आर. 318; श्री सादिक अली और अन्र।

वी. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली और

ओआरएस। (1972) 4 एससीसी 664: [1972] 2 एससीआर 318; कान्हिया

लाल उमर बनाम। आर. के. त्रिवेदी और अन्य। (1985) 4 एससीसी 628:

[1985] 3 पूरक। एस. सी. आर. 1-निर्भर।

देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम और अन्र। वी.

भारत निर्वाचन आयोग (2011) 4 एस. सी. सी. 224: [2011]

3 एससीआर 920-प्रतिष्ठित।

मादेवा उपेंद्र सिनाई और ओआरएस। वी. भारत संघ और

ओआरएस। (1975) 3 एससीसी 765: [1975] 2 एस. सी. आर. 640; देसिया

मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम और अन्र। वी. चुनाव

भारतीय आयोग (2012) 7 एससीसी 340: [2012] 3 एससीआर

1084 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 3 एससीआर 920

प्रतिष्ठित

पै

रा 17

[1982] 3 एससीआर 318

उस पर भरोसा करें

पैरा 20 ई. डी. ए. पी. ए. डी. के. पलानीस्वामी बनाम टी. टी. वी. दिनकरन

[1975] 2 एससीआर 640

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

[2012] 3 एससीआर 1084

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

[1972] 2 एससीआर 318

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

[1985] 3 पूरक। एस. सी. आर. 1 पर निर्भर

पै

रा 36

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2019 का एम. ए. सं. 31

2018 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 7258।

उच्च न्यायालय के 09.03.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

डब्ल्यू. पी. में 2018 के सी. एम. संख्या 2994 में नई दिल्ली में दिल्ली का (ग) 2017 की सं. 10728।

कपिल सिब्बल, अशोक देसाई, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, श्रीमती.

मीनाक्षी अरोड़ा, सी. एस. वैद्यनाथन, के. वी. विश्वनाथन, गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गौतम कुमार, सुश्री पलक महाजन, सुश्री दीक्षा राय, अमित आनंद तिवारी, विवेक सिंह, एन. राजा सेंथूर पांडियन, अमित भंडारी, स्वास्तिक दलाई, हर्षल गुप्ता, सुश्री अनुषा नटराजन, सुश्री देवयानी गुप्ता, श्रीमती मैरी मिट्जी, श्रीनिवासन, प्रवीण समाधानम, मोहित पॉल, शाश्वत सिंह, अनिरुद्ध बाखरू, बालाजी श्रीनिवासन, सिद्धांत कोहली, सुश्री पल्लवी सेनगुप्ता, सुश्री गरिमा जैन, सुश्री लक्ष्मी राव, राम शंकर, हरीश शंकर वैद्यनाथन, बाबू मुरुगावेल, प्रकाश कुमार गांधी, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी बरुआ, सुश्री अयियाला इम्ती, अधिवक्ता उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का आदेश दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे. 1. निर्देशों के लिए यह आवेदन

प्रतिवादी संख्या 1-टी. टी. वी. दिनाकरन (संक्षेप में, " टी. टी. वी. डी.), 28 मार्च, 2018 के आदेश के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता को देखते हुए विशेष अनुमति याचिका के निपटारे में।

2. इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी

9 मार्च, 2018 का निर्णय और आदेश नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 2017 की रिट याचिका (सिविल) No.10728 में सी. एम. No.2994/2018 में पारित किया गया। वह रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 1-टी. टी. वी. डी. द्वारा चुनाव के फैसले पर हमला करने के लिए दायर की गई है।

भारत आयोग (संक्षेप में, "ईसीआई") दिनांक 23 नवंबर, 2017-जिसके तहत ईसीआई ने प्रतिवादी Nos.4 के दावे को 6 (अर्थात्, ई. मधुसूदनन, ओ. पन्नीरसेल्वम और थिरू) को स्वीकार कर लिया था। सेम्मलाई) और एस. एल. पी. याचिकाकर्ता-एडापड्डी के. पलानीस्वामी (संक्षेप में, "ई. के. पी".) ने कहा कि समूह का नेतृत्व प्रतिवादी संख्या 4-ई. मधुसूदनन (संक्षेप में, "ई. एम".) ने किया।

19] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्य में मूल पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का नाम, "अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम" (संक्षेप में "ए. आई. ए. डी. एम. के".) और इसके आरक्षित प्रतीक "दो पत्तियों" का उपयोग करने का हकदार था। और प्रतिवादी संख्या 1-टी. टी. वी. डी. और प्रतिवादी संख्या 3-वी. के. शशिकल (संक्षेप में, "वी. के. एस".) के इस दावे को खारिज कर दिया कि वी. के. एस. के नेतृत्व वाला समूह वास्तविक समूह था और पार्टी ए. आई. ए. डी. एम. के. के नाम और प्रतीक का उपयोग करने का हकदार था। विभिन्न आधारों पर निर्वाचन आयोग के उक्त फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

3. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, तमिलनाडु राज्य में चुनावों की घोषणा की गई थी और प्रतिवादी संख्या 1 और समूह

जिनमें से वे एक सदस्य थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अंतरिम आवेदन दायर किया, जो कि लंबित रिट याचिका में सी. एम. No.2994/2018 था और उन्होंने निम्नलिखित राहतों के लिए अनुरोध कियाः

" प्रार्थना करें

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि

माननीय न्यायालय इस बात से प्रसन्न हो सकता हैः ए। उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करें कि वे नेतृत्व वाले समूह को अनुमति दें

याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 6 अपनी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक उपयुक्त नाम का उपयोग करने के लिए, की विचाराधीनता के दौरान वर्तमान रिट याचिका;

बी। उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करें, अनुमति दें/आवंटित करें

वर्तमान रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान अप्रैल 2018 में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों या किसी अन्य चुनाव के उद्देश्य से "प्रेशर कुकर" के प्रतीक का उपयोग करने के लिए याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 6 के नेतृत्व में समूह।

सी। ऐसे आगे के आदेश (आदेश) पारित करें जो वह उचित समझे और तथ्य और

मामले की परिस्थितियाँ "।

4. उक्त आवेदन को एसएलपी याचिकाकर्ता, प्रतिवादी Nos.4 से 6 और विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा चुनौती दी गई थी। उक्त आवेदन की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने 9 मार्च, 2018 के एक विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी। उक्त निर्णय का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः

" 56. उपरोक्त सभी कारणों से, मुझे याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना में काफी योग्यता मिलती है और आवेदन ई. डी. ए. पी. ए. डी. आई. के. पलानीस्वामी बनाम के योग्य है।

टी. टी. वी. दिनकरन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अनुमति दी जाए। हालांकि, आवेदन में मांगी गई राहत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान एक अंतरिम व्यवस्था के माध्यम से एक सामान्य नाम और प्रतीक का उपयोग करने के याचिकाकर्ता के अधिकार को बरकरार रखते हुए, मैं प्रतिवादी संख्या 1/ईसीआई को निर्देश देना उचित समझता हूं, जिसमें - प्रतीकों के आवंटन से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, याचिकाकर्ता और उसके व्यक्तियों के समूह को एक सामान्य प्रतीक (अधिमानतः "प्रेशर कुकर" जैसा कि आर. के. नगर के पिछले चुनाव के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा उपयोग किया गया था) का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एक उचित आदेश पारित करना।

निर्वाचन क्षेत्र) और उन्हें उचित सुनवाई देने के बाद अपनी पसंद के नाम का उपयोग करने की भी अनुमति दें।

57. आवश्यक कार्य तीन सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त निर्देश मुख्य याचिका में पक्षों के अधिकारों और दलीलों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पारित किए जा रहे हैं। 58. उपरोक्त शर्तों में आवेदन की अनुमति है, बिना किसी आदेश के।

" "

लागतों के बारे में।

5. उक्त निर्णय से व्यथित, एसएलपी याचिकाकर्ता ईकेपी (रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 5) ने ई. एम. के नेतृत्व वाले समूह के कारण का समर्थन करते हुए, इस न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जो 2018 की एसएलपी (सी) No.7258 थी। जब संबंधित मामलों के साथ उक्त विशेष अनुमति याचिका को 28 मार्च, 2018 को सुनवाई के लिए लिया गया, तो अदालत को यह बताया गया कि स्थानीय निकायों के लिए आसन्न चुनावों को रद्द कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अंतरिम आवेदन स्थापित करने का आधार मौजूद नहीं था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" आदेश

याचिकाकर्ताओं और श्री अशोक देसाई, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा और श्री अमरेंद्र शरण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी, श्री सी. एस. वैद्यनाथन, श्री के. वी. विश्वनाथन और श्री गुरु कृष्ण कुमार को सुना गया।

उत्तरदाताओं के लिए परामर्श।

पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम इच्छुक हैं

निम्नलिखित दिशाओं को पार करें:

(i) उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया जाएगा और जैसा कि [2019] 3 एस. सी. आर. द्वारा स्वीकार किया गया है।

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील, आगे कोई अवसर नहीं होगा

जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए मंजूरी दी जाए। ((ii) प्रत्यर्थी द्वारा, यदि कोई हो, प्रत्यर्थी शपथ पत्र दाखिल किया जाए।

दो सप्ताह बाद।

(iii) उच्च न्यायालय के विद्वान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं -

एक उपयुक्त खंड पीठ गठित करने का अनुरोध किया गया, ताकि वे इस बारे में निर्णय ले सकते हैं।

((iv) इस प्रकार गठित डिवीजन बेंच से निपटान करने का अनुरोध किया जाता है। अप्रैल, 2018 के अंत तक मुख्य मामले के रूप में

तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

9.3.2018 पर रोक रहेगी। (vi) जैसा कि हमने आदेश को स्थगित रखा है, चुनाव

आयोग अपना आदेश नहीं सुनाएगा।

(vii) यदि चुनाव के लिए कोई अधिसूचना है, तो स्वतंत्रता पक्षकारों को इस न्यायालय से संपर्क करने की अनुमति दी जाती है।

विशेष अनुमति याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है। लंबित है। यदि कोई अंतर्वर्ती आवेदन हैं तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

(जोर दिया गया)

6. जैसा कि ऊपर कहा गया है, पक्षों को दी गई स्वतंत्रता से संकेत लेते हुए

इस न्यायालय को किसी भी नई अधिसूचना जारी करने की स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 1 ने वर्तमान विविध याचिका दायर की है।

2 जनवरी, 2019 को इस बात पर जोर देते हुए कि उपचुनाव भरने के लिए

168-तिरुवरूर विधानसभा क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

ई. ई. सी. आई. 31 दिसंबर, 2018 को और मतदान की तिथि निर्धारित की गई है

28 जनवरी, 2019 के लिए। वर्तमान आवेदन में दावा की गई राहत

इस प्रकार:

" प्रार्थना करें

इसलिए, यह सबसे अधिक सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए

माननीय न्यायालय इस बात से प्रसन्न हो सकता है - ए। भारत के चुनाव आयोग (प्रतिवादी संख्या 2) को निर्देश दें कि

आवेदक और उसके समूह को अनुमति देने के लिए एक उचित आदेश पारित करें एक सामान्य प्रतीक का उपयोग करना (अधिमानतः "प्रेशर कुकर" के रूप में ई. डी. ए. पी. ए. डी. डी. के. पलानीस्वामी बनाम।

टी. टी. वी. दिनकरन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

आर. के. नगर निर्वाचन क्षेत्र के लिए पिछले उपचुनाव के दौरान आवेदक को आवंटित किया गया था) और उन्हें रिट याचिका (सी) No.10728/2017 के लंबित रहने के दौरान किसी भी आगामी चुनाव में अपनी पसंद के नाम का उपयोग करने की अनुमति भी दी गई थी।

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय।

बी। ऐसे अन्य और आगे के आदेश या आदेश पारित करें जिन्हें इस माननीय न्यायालय द्वारा तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में और न्याय के हित में न्यायसंगत और उचित माना जा सके।

7. एसएलपी याचिकाकर्ता और प्रतिवादी Nos.4 से 6, साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 ने इस बारे में प्रारंभिक आपत्ति जताई है

इस अनुप्रयोग की रखरखाव क्षमता। उनके अनुसार, विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किए जाने के बाद, यह न्यायालय कार्यात्मक अधिकारी बन गया है और इसे कोई सकारात्मक निर्देश पारित नहीं करना चाहिए, जैसा कि वर्तमान आवेदन में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मांगा गया है। यह भी बताया गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को अब 6 जनवरी, 2019 को रद्द कर दिया गया है और कोई आसन्न चुनाव नहीं है। तब यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 1, यदि इस तरह की सलाह दी जाती है, तो उचित निर्देशों के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।

8. हमें पहले इस प्रारंभिक आपत्ति का जवाब देना होगा। 28 मार्च, 2018 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसमें हममें से एक पक्षकार (ए. एम. खानविलकर, जे.) थे, को सीधे पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने अपील के तहत निर्णय के गुण-दोष की बिल्कुल भी जांच नहीं की। यह. केवल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश को स्थगित रखते हुए निर्देश जारी किए और पक्षकारों को रिट याचिका की त्वरित सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष भेज दिया।

डिवीजन बेंच, एक आशावादी उम्मीद के साथ कि राज्य में खाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/स्थानीय निकायों के लिए चुनाव या उपचुनाव के संचालन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कोई नई अधिसूचना जारी किए जाने से पहले इसका निपटारा कर दिया जाएगा। वास्तव में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 20 अप्रैल, 2018 से रिट याचिका की सुनवाई शुरू की, लेकिन यह सामान्य आधार है कि मामले को अलग-अलग तारीखों पर पोस्ट और सुनवाई किए जाने के बावजूद पक्षों की दलीलें अभी भी अधूरी हैं। हम रिट याचिका के लंबित होने के कारणों के बारे में दोनों पक्षों के वकील द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अलग नहीं करना चाहते हैं। तथ्य यह है कि रिट याचिका अभी भी अपने अंतिम निर्णय के लिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष लंबित है और हम मानते हैं कि यह अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण है। नतीजतन, आवेदक

(प्रत्यर्थी संख्या 1) के पास [2019] 3 एस. सी. आर. द्वारा इस न्यायालय में जल्दबाजी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय द्वारा 28 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से दी गई स्वतंत्रता के आलोक में, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव अनुसूची के प्रकाशन के कारण तत्काल आवेदन प्रस्तुत करना। 9. विशेष रूप से, इस न्यायालय ने न तो उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के विवादित अंतरिम आदेश के गुण-दोष को स्वीकार किया है और न ही इसे दरकिनार किया है और न ही बरकरार रखा है। इसके बजाय, इस न्यायालय ने केवल किसी भी नए मामले से पहले मुख्य रिट याचिका के शीघ्र निपटारे की सुविधा के लिए निर्देश जारी किए।

निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। इस उम्मीद के साथ, यह न्यायालय

उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को स्थगित कर दिया था और चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं देने या उसे आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया था। यह इतना निर्देशित था क्योंकि कोई नहीं था

किसी भी आदेश को पारित करने के लिए तत्काल तात्कालिकता क्योंकि चुनाव प्रक्रिया, जिसकी पहले घोषणा की गई थी, रद्द कर दी गई थी। इसलिए, इस न्यायालय के आदेश का प्रभाव पक्षों को एक बार फिर संपर्क करने की अनुमति देना है।

इस न्यायालय ने एस. एल. पी. के निपटारे के संदर्भ में, यदि स्थिति आवश्यक है। चूंकि यह स्वतंत्रता पक्षों को दी गई है, भले ही एसएलपी को स्पष्ट रूप से निपटाया गया हो, इस आवेदन पर विचार नहीं किया गया है, केवल इसलिए कि 28 मार्च, 2018 के आदेश में दर्ज है कि विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया गया है, इस अदालत द्वारा पक्षकारों को दी गई स्वतंत्रता की भावना को पूरी तरह से तुच्छ बना देगा।

10. यह तथ्य कि रिट याचिका अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष लंबित है, निश्चित रूप से इसके लिए कोई बाधा नहीं होगी।

पक्षकार 28 मार्च, 2018 के हमारे आदेश के संदर्भ में उन्हें दी गई स्वतंत्रता के आलोक में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इस मामले की विचित्र तथ्य स्थिति में, हम प्रतिवादी संख्या 1-आवेदक को इस आवेदन में दावा की गई राहत के लिए उच्च न्यायालय में वापस जाने का निर्देश नहीं दे सकते क्योंकि इसी तरह की राहत पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पहले से ही 9 मार्च, 2018 के फैसले और आदेश के माध्यम से आवेदक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए समूह के पक्ष में विचार किया गया था। विशेष रूप से, विद्वानों द्वारा दिए गए निर्देश

उक्त आदेश में एकल न्यायाधीश को इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर करके चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से चुनौती नहीं दी गई थी। इसके अलावा, यह हो सकता है डिवीजन बेंच के लिए 9 मार्च, 2018 के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और अंतरिम आदेश में निपटाए गए मुद्दों पर फिर से विचार करना उचित नहीं होगा, जिसे इस न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है। भले ही डिवीजन बेंच को तत्काल आवेदन में दावा की गई राहत पर विचार करना था, लेकिन वह केवल समीक्षा अधिकार क्षेत्र या उसी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पहले से पारित आदेश के संशोधन के मापदंडों के भीतर ही ऐसा कर सकती थी। कारण, रिट याचिका ई. डी. ए. पी. ए. डी. डी. के. पलानीस्वामी बनाम है।

टी. टी. वी. दिनकरन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

28 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के कारण सुनवाई के लिए खंड पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार, खंड पीठ केवल इसलिए विवादित फैसले पर अपील नहीं कर सकती क्योंकि स्थानांतरित रिट याचिका पर अब दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि हम प्रारंभिक आपत्ति में योग्यता नहीं पाते हैं।

एस. एल. पी. याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी Nos.4 द्वारा 6 और प्रत्यर्थी संख्या 2 को उठाया गया।

11. तब यह बताया गया कि 168-तिरुवरूर के खाली विधानसभा क्षेत्र को भरने के लिए उपचुनाव को रद्द कर दिया गया है। अधिसूचना दिनांक 6 जनवरी, 2019। इसके अलावा, ई. सी. आई. द्वारा निकट भविष्य में कोई नई अधिसूचना जारी करने की संभावना नहीं थी। फिर भी, हम वर्तमान आवेदन में दावा की गई राहत की जांच करना उचित समझते हैं

क्योंकि हमने दोनों पक्षों और अधिक लोगों को सुनने में अमूल्य न्यायिक समय बिताया है क्योंकि हम प्रतिवादी संख्या 1-आवेदक के प्रस्तुत करने में बल पाते हैं कि भले ही निर्वाचन आयोग द्वारा पहले के प्रेस नोट को रद्द कर दिया गया है, लेकिन वैधानिक आवश्यकताओं और संवैधानिक दायित्व के निर्वहन और कुछ अन्य कार्यवाहियों में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान को देखते हुए, उसे तमिलनाडु राज्य में खाली विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव (निर्वाचन क्षेत्रों) को अधिसूचित करना होगा, जो एक से अधिक होंगे और इसके अलावा, संसदीय चुनाव बहुत अधिक होने वाले हैं। इसलिए, हम योग्यता के आधार पर मुद्दों का जवाब देने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमें 28 मार्च के आदेश के संदर्भ में पक्षों को दी गई स्वतंत्रता को देखते हुए ऐसा करना चाहिए।

2018 . 12. यह भी आग्रह किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने किसी भी प्रथम दृष्टया मामले को अंतिम आदेश में हस्तक्षेप की गारंटी नहीं दी है।

ईसीआई दिनांक 23 नवंबर, 2017। यह निवेदन, हमारी राय में,

वह प्रथम दृष्टया मामला प्रत्यर्थी संख्या 1 (रिट याचिकाकर्ता) द्वारा बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, रिट याचिका की सुनवाई 20 अप्रैल, 2018 से डिवीजन बेंच के समक्ष कई तिथियों पर आगे बढ़ी है, जो स्वयं मानती है कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा दुर्जेय मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा गंभीर विचार की आवश्यकता है। 13. इससे पहले कि हम 9 मार्च, 2018 के उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न मुद्दे के गुण-दोष पर प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को विज्ञापन दें, उस आधार को उजागर करना उचित होगा जिसके आधार पर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1-आवेदक) को राहत दी थी। उच्च [2019] 3 एस. सी. आर. के विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय बहुत विस्तृत है और सभी प्रासंगिक प्रावधानों और दोनों पक्षों द्वारा रिपोर्ट किए गए और गैर-रिपोर्ट किए गए निर्णयों के लिए विज्ञापन देता है। इस पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि बार में उद्धृत किसी भी निर्णय में वास्तव में वर्तमान मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है। वर्तमान मामले में सवाल यह है कि

यह नहीं कि क्या कोई अपंजीकृत और गैर-मान्यता प्राप्त समूह चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत आरक्षित प्रतीक के आवंटन की मांग कर सकता है। हालाँकि, असली सवाल यह है कि क्या एक गुट, जिसका प्रतिनिधित्व प्रतिवादी नंबर 1-टीटीवीडी और वीकेएस द्वारा किया जाता है, जो होने का दावा करते हैं

चुनाव आयोग के समक्ष विवाद की शुरुआत के समय सदस्यों के बहुमत का समर्थन रखने वाले वास्तविक पक्ष को, और वह दावा अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, पहले खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए और मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इसके लिए अपना दावा स्थापित किया जा सकता है।

आरक्षित प्रतीक का आवंटन और नाम का उपयोग।

14. उच्च न्यायालय ने 22 मार्च, 2017 के अंतरिम आदेश से संकेत लेते हुए चुनाव आयोग द्वारा लंबित रहने के दौरान पारित किया

उसके समक्ष विषय विवाद के संबंध में यह मत व्यक्त किया गया कि यदि ऐसी व्यवस्था

कड़गम और अन्र। बनाम भारत का चुनाव आयोग, जिसमें डब्ल्यू. पी. (सी) No.532/2008 और विदुथलाई चिरुथाइगल काची बनाम भारत का चुनाव आयोग में 27 अप्रैल, 2009 का आदेश है, जिसमें डब्ल्यू. पी. (सी) नं. 177/2009, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया गया था कि आगामी चुनावों के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सामान्य प्रतीक आवंटित करें। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि हालांकि चुनाव आयोग के समक्ष विवाद की स्थापना के समय, ए. आई. ए. डी. एम. के. की विधायी शाखा से प्रतिद्वंद्वी गुटों को प्राप्त समर्थन था-ए. आई. ए. डी. एम. के. के 134 में से 12 विधायक।

प्रतिवादी नंबर 5-ओ. पी. के नेतृत्व वाले गुट का समर्थन किया, जबकि ए. आई. ए. डी. एम. के. के 122 विधायक और 50 में से 37 सांसदों ने गुट का प्रतिनिधित्व किया।

ई. डी. पी. ए. डी. के. पलानीस्वामी बनाम। टी. टी. वी. दिनकरन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रत्यर्थी संख्या 1-टीटीवीडी द्वारा। लेकिन जब तक विवाद का फैसला हो गया ई. सी. आई. ने माना कि प्रतिवादी नंबर 1 के गुट को अभी भी 6 सांसदों और 20 विधायकों और पार्टी के अन्य सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, जैसा कि चुनाव आयोग ने देखा है।

चुनाव आयोग। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग ने अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों और लोकतंत्र के स्वस्थ विकास के हित में और राष्ट्रीय जनता दल जैसे पिछले उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 1-टी. टी. वी. डी. द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए गुट को विवाद के लंबित रहने के दौरान राहत प्रदान की थी। उस आधार पर, उच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिवादी संख्या 1-टी. टी. वी. डी. द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए गुट को सामान्य प्रतीक आवंटित करने के लिए निर्देश जारी करना उचित समझा, जहां वे उम्मीदवारों को नामित करेंगे।

आगामी चुनाव लड़ें। विशेष रूप से, उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि आम तौर पर, सामान्य प्रतीक केवल पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को आवंटित किया जा सकता है। न्यायालय ने अंततः कहा कि यदि भारत का चुनाव आयोग अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा कर सकता है तो

15. एसएलपी याचिकाकर्ता, प्रतिवादी Nos.4-6 और प्रतिवादी संख्या 2 के अनुसार, प्रतीक आदेश में एक ऐसे समूह को एक सामान्य प्रतीक आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है जो एक राजनीतिक दल के रूप में भी पंजीकृत नहीं है। निर्देश जारी करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति और पैराग्राफ 18 के संदर्भ में निर्देश वर्तमान मामले और अधिक की तथ्य स्थिति में लागू नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि आयोग ने 23 नवंबर, 2017 के आदेश के माध्यम से दोनों गुटों के बीच विवाद का फैसला पहले ही कर लिया है। चूंकि आयोग द्वारा विवाद का अंत में निर्णय ले लिया गया है, इसलिए समान आदेश पारित करने का सवाल जो प्रतीक आदेश के दायरे में होगा, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह आग्रह किया जाता है कि एक पंजीकृत राजनीतिक दल और/या पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होने के लाभ अच्छी तरह से परिभाषित हैं और पंजीकरण और मान्यता पर, दलों को कुछ मानदंडों और अनुशासन का पालन करना होगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राजनीतिक संगठन को निर्वहन किए बिना एक पंजीकृत मान्यता प्राप्त पार्टी के सभी लाभ प्राप्त होंगे।

उस संबंध में संबंधित दायित्व और देनदारियाँ। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 को कोई भी राहत देने के परिणामस्वरूप ऐसे और संगठन [2019] 3 एस. सी. आर. का पालन किए बिना एक सामान्य प्रतीक के आवंटन की समान राहत के लिए जोर देंगे।

वैधानिक आवश्यकताओं के साथ और प्रतीक आदेश के प्रावधानों को अनावश्यक बनाने के अलावा एक खराब मिसाल कायम करेगा। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही एक वैधानिक अपील नहीं होने के कारण, इसे चुनाव आयोग की कार्यवाही की निरंतरता के रूप में नहीं माना जा सकता है ताकि निर्देशित अंतरिम व्यवस्था को जारी रखा जा सके।

निर्वाचन आयोग द्वारा 22 मार्च, 2017 के आदेश के माध्यम से। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 किसी विशेष नाम या प्रतीक के लिए जोर नहीं दे सकता है और यदि उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह मतदाताओं के बीच भारी भ्रम पैदा करेगा, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन पर असर पड़ेगा।

16. इस प्रकार, एस. एल. पी. याचिकाकर्ता (ओं), प्रतिवादी Nos.4-6 और प्रतिवादी संख्या 2 का प्रमुख तर्क यह है कि द्वारा मांगे गए निर्देश जारी करना

प्रत्यर्थी संख्या 1 के परिणामस्वरूप निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 में निहित प्रावधानों के विपरीत कुछ करने का निर्देश दिया जाएगा। हमारी राय में, इस तर्क को उच्च न्यायालय ने इस तर्क पर सही ही नकार दिया है कि यदि निर्वाचन आयोग अपने समक्ष लंबित विवाद के निर्णय के दौरान दोनों गुटों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम निर्देश पारित करने में खुद को सक्षम मानता है, तो इसका कोई कारण नहीं है कि उसी तर्क पर उच्च न्यायालय, समानता की अदालत होने के नाते, ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है, जब निर्वाचन आयोग का अंतिम निर्णय अभी भी उसके समक्ष चुनौती लंबित था। हम उच्च न्यायालय से भी सहमत हैं कि एसएलपी याचिकाकर्ता और चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं द्वारा सेवा में लगाए गए रिपोर्ट किए गए और गैर-रिपोर्ट किए गए निर्णय उन मामलों से निपटते हैं जहां राजनीतिक दल पहले से ही पंजीकृत था लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं था। इसी तरह, राष्ट्रीय जनता दल में चुनाव आयोग द्वारा 19 दिसंबर, 1997 को तय की गई नीति उन मामलों को नियंत्रित करेगी जिनमें चुनाव आयोग द्वारा पहले से ही अंतिम निर्णय लिया जा चुका है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में "1951 अधिनियम") अपने स्वयं के घोषणापत्र, नीतियों और कार्यक्रमों पर आम चुनाव लड़ता है और प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 6 और 7 के संदर्भ में इसकी मान्यता के लिए अपने मतदाताओं से जनादेश प्राप्त करता है। वास्तव में, उस वितरण को होना चाहिए इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1, यदि चुनाव ईडीएपीएडीडी के. पलानीस्वामी बनाम के निर्णय को उनकी चुनौती है।

टी. टी. वी. दिनकरन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

आयोग को अंततः अस्वीकार कर दिया जाता है और/या उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए समूह के खिलाफ जवाब दिया जाता है। उस समय तक, प्रत्यर्थी संख्या 1-रिट याचिकाकर्ता वैध रूप से उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपने दावे को आगे बढ़ा सकता है कि उसका समूह वास्तविक राजनीतिक दल (ए. आई. ए. डी. एम. के.) का प्रतिनिधित्व करता है जो पहले पंजीकृत और मान्यता प्राप्त था।

17. रिलायंस को देसिया मुरपोक्कू के फैसले पर रखा गया था

द्रविड़ कड़गम और अन्र। बनाम भारत निर्वाचन आयोग 'यह तर्क देते हुए कि भले ही शुरू में इस न्यायालय ने रिट याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की थी, लेकिन अंततः यह महसूस किया कि इस तरह की अंतरिम राहत देने के परिणामस्वरूप टालने योग्य भ्रम पैदा हुआ था और चुनाव आयोग के लिए इसे अव्यवहारिक बना दिया था। चुनाव का सुचारू संचालन। फैसले के पैराग्राफ 27 से 29 में

इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 27. जब 27-3-2009 पर अंतरिम व्यवस्था की गई थी, तो अदालत के समक्ष पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या केवल तीन थी, जबकि वर्तमान में कई अन्य दल इसमें शामिल हुए हैं। इस स्तर पर हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या उपरोक्त के बावजूद, चुनाव प्रक्रिया में किसी भी हितधारक के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा होगा, अगर इस तरह की प्रार्थना की अनुमति दी गई थी। यह निश्चित रूप से पंजीकृत लोगों के लिए फायदेमंद होगा।

गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यदि वे एक समान चिन्ह पर उम्मीदवार खड़ा करने में सक्षम थे। दूसरी ओर, यदि सभी पंजीकृत हैं
गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एक सामान्य प्रतीक प्रदान किया जाना था, प्रथम दृष्टया, यह चुनाव के प्रावधानों को प्रस्तुत करेगा

प्रतीक आदेश, 1968, पूरी तरह से अव्यवहारिक और बहुत ही नष्ट

वह उद्देश्य जिसे वह प्राप्त करना चाहता है।

28. उपरोक्त दो संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हम पहले की तरह कोई अंतरिम व्यवस्था करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। पहले की अंतरिम व्यवस्था संभव थी।

दलों की कम संख्या के कारण, लेकिन वर्तमान में
परिस्थितियों, वही उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए व्यवहार्य नहीं होगा जो चुनाव लड़ने की संभावना है और हैं

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मुफ्त प्रतीक प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

29. हालांकि, हम चुनाव चिह्नों के आवंटन के संबंध में कोई अंतरिम व्यवस्था करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

आगामी आम सभा चुनाव, हम यह स्पष्ट करते हैं कि
यह केवल एक अस्थायी दृष्टिकोण है, जो किसी भी तरह से लंबित रिट याचिकाओं और विशेष अनुमति के अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा।

(2011) 4 एससीसी 224

याचिकाएँ। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश चुनाव आयोग को किसी भी अभ्यावेदन पर विचार करने से नहीं रोकेगा।

राजनीतिक दलों द्वारा और एक सामान्य प्रतीक के लिए उनकी प्रार्थना को समायोजित करने से, व्यावहारिक रूप से संभव सीमा तक।

18. विशेष रूप से, यह एक ऐसा मामला था जहां पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ने आगामी चुनाव के दौरान पार्टी द्वारा नामित किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य प्रतीक के आवंटन के संबंध में राहत मांगी थी।

चुनाव। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें पंजीकृत मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल के प्रत्येक गुट ने वास्तविक पक्ष होने का दावा किया हो और ऐसा विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, जैसा कि वर्तमान मामले में तथ्य स्थिति है। तथ्य यह है कि रिट याचिका को चुनाव आयोग की कार्यवाही की निरंतरता के रूप में नहीं माना जा सकता है, फिर भी यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है कि वह चुनाव आयोग के अंतिम निर्णय को दरकिनार करे और जिसमें पारित करना भी शामिल है।

रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उचित अंतरिम निर्देश

यह।

19. जो भी हो, वर्तमान मामले में, जब मामला चुनाव आयोग के समक्ष लंबित था, उसने अंतरिम आदेश पारित किया था -

ए. आई. ए. डी. एम. के. के दोनों गुटों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। 22 मार्च, 2017 के आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" 10. आयोग ने सुनवाई की शुरुआत में ही सभी पक्षों से कहा था कि वह इस प्रश्न पर विचार नहीं करेगा कि

पक्ष के महासचिव के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 1 की नियुक्ति, और यह कि वर्तमान सुनवाई केवल 11 से वर्तमान उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को पार्टी के आरक्षित प्रतीक के आवंटन के सवाल तक ही सीमित होगी-डॉ। राधाकृष्णन नगर विधानसभा क्षेत्र, जिसके लिए नामांकन कल (23 मार्च, 2017) दोपहर तक बंद हो जाएंगे। इस प्रकार, कुछ समय के लिए, आयोग केवल 11-डॉ. से उक्त उपचुनाव में पार्टी के लिए आरक्षित उक्त प्रतीक 'दो पत्तियों' के उपयोग के सीमित पहलू से संबंधित है। राधाकृष्णन नगर विधानसभा

निर्वाचन क्षेत्र।

दोनों समूहों द्वारा अपने-अपने दावों के समर्थन में दायर हलफनामों के लिए काफी समय की आवश्यकता होगी क्योंकि दोनों समूहों के पास है

उन व्यक्तिगत शपथपत्रों में कई विसंगतियों और कानूनी दुर्बलताओं की ओर इशारा किया। एक गहन परीक्षा और अधिक निकट से देखने के लिए डापाडी के. पलानीस्वामी बनाम।

टी. टी. वी. दिनकरन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

पार्टी के संविधान के विभिन्न प्रावधानों की भी आवश्यकता होगी, जिन पर दोनों समूह तथ्यात्मक और कानूनी आधार पर अपनी दलीलों को समर्थन देने के लिए निर्भर थे। कोई भी इस तथ्य से नाराज नहीं होगा कि 20,000 से अधिक पृष्ठों में चलने वाले सभी उपरोक्त अभिलेखों का अध्ययन करना और विद्वान वकीलों द्वारा किए गए मौखिक प्रस्तुतियों का लगातार छह घंटे से अधिक समय तक विश्लेषण करना और फिर तथ्यों और कानून के विवादित प्रश्नों पर एक निश्चित निष्कर्ष या निष्कर्ष पर पहुंचना लगभग मानवीय रूप से असंभव है। आज दोपहर लगभग 05.00 बजे सुनवाई समाप्त होने के बाद, नामांकन शुरू होने से कुछ घंटे पहले कोई भी जल्दबाजी में निर्णय

कल (23 मार्च, 2017) सुबह 11.00 पर प्रक्रिया उधार दे सकती है

एक गलत निष्कर्ष या अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला निष्कर्ष

और किसी एक या दोनों समूहों के हित। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने मौखिक रूप से यह भी प्रस्तुत किया है कि वे

पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक स्तरों और शाखाओं में पार्टी के सदस्यों से अधिक व्यक्तिगत शपथ पत्र एकत्र किए हैं और जमा करने की प्रक्रिया में हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ और समय की आवश्यकता होती है। के हित में यह उचित नहीं होगा

समानता, न्याय और निष्पक्षता-कार्रवाई में उन्हें मामले में आवश्यक कार्य करने के अवसर से वंचित करने के लिए, जैसा कि प्रार्थना की गई थी।

12. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए 20,000 से अधिक पृष्ठों के विशाल साक्ष्य का मूल्यांकन करने और उन पर निर्णय लेने में व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए- जो भी कल देर शाम (21 मार्च, 2017) दायर किए गए थे-और उनके विद्वान वरिष्ठ द्वारा मौखिक प्रस्तुतियाँ।

अधिवक्ताओं, आयोग कोई अंतिम निर्णय देने की स्थिति में नहीं है

इन बाध्यकारी परिस्थितियों में विकल्प लेकिन एक अंतरिम आदेश देने के लिए जो दोनों पक्षकारों के लिए उचित हो सकता है दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए और ऐसे मामलों में पिछले उदाहरणों के अनुसार, आयोग इसके द्वारा निम्नलिखित अंतरिम आदेश देता है, विशुद्ध रूप से इन उद्देश्यों के लिए -

11 से वर्तमान उपचुनाव-डॉ। तमिलनाडु के राधाकृष्णन नगर विधानसभा क्षेत्र में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विवाद के अंतिम निर्धारण तक

प्रतीक आदेश के पैरा 15 के संदर्भ में 16 मार्च, 2017 की उनकी याचिकाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) याचिकाकर्ता 9 श्री ई. मधुसूदनन, श्री ओ. पन्नीरसेल्वम और श्री एस. पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व में दोनों समूहों में से कोई भी नहीं।

सेम्मलाई) और उत्तरदाताओं (श्रीमती. वी. के. शशिकल और श्री टी. टी. वी. दिनाकरन) को नाम का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

पार्टी 'अखिल भारतीय अम्मा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम' सरलीकरणकर्ता;

(ख) उपरोक्त दो समूहों में से किसी को भी 'अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम' के लिए आरक्षित प्रतीक 'दो पत्तियों' का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित स्वतंत्र प्रतीकों की सूची में से वे जिन प्रतीकों को चुन सकते हैं वर्तमान उपचुनाव-11 से चुनाव-डॉ। तमिलनाडु में राधाकृष्णन नगर विधानसभा क्षेत्र।

तदनुसार, दोनों समूहों को इसके लिए निर्देशित किया जाता है -

कल (23 मार्च, 2017) सुबह 10.00 तक नवीनतम जानकारी देंः ((i) उनके समूहों के नाम जिनके द्वारा उन्हें आयोग द्वारा मान्यता दी जा सकती है; और

((ii) वे प्रतीक जो संबंधित समूहों द्वारा स्थापित किए गए उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकते हैं। वे संकेत दे सकते हैं कि

तीन स्वतंत्र प्रतीकों के नाम उनकी पसंद के क्रम में, जिनमें से किसी को भी आयोग द्वारा उनके उम्मीदवारों को आवंटित किया जा सकता है। 13. इसके अलावा, उपरोक्त दोनों संदर्भित समूहों को ऐसे सभी दस्तावेजों और हलफनामों को प्रस्तुत करने का एक और और अंतिम अवसर दिया जाता है, जिन पर वे 17 अप्रैल, 2017 (सोमवार) तक अपने-अपने दावों पर भरोसा करने का प्रस्ताव करते हैं। वे इस बात पर भी ध्यान दे सकते हैं कि इस मामले की सुनवाई आयोग द्वारा बाद में सूचित की जाने वाली तारीख पर की जाएगी।

आदेशित

सटीक रूप से "

(जोर दिया गया)

20. वास्तव में, चुनाव चिह्न के आवंटन को मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है जितना कि चुनाव लड़ना नहीं है, जैसा कि ज्योति बसु और अन्य में देखा गया है। बनाम देवी घोषाल और Ors.[2]। यह एक वैधानिक है

सही है। यह भी अच्छी तरह से तय है कि चुनाव आयोग के पास पूर्ण शक्तियां हैं और वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। प्रतीक आदेश का खंड 18 चुनाव आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी पूर्ण शक्ति के पहलू की भविष्यवाणी करता है। खंड 18 में लिखा है - इस प्रकारः

" 18. निर्देश और निर्देश जारी करने की आयोग की शक्ति।

आयोग निर्देश और निर्देश जारी कर सकता है।

(क) इस आदेश के किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के लिए।

(ख) के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए

(ग) राजनीतिक दलों के आरक्षण और प्रतीकों के आवंटन और मान्यता के संबंध में किसी भी मामले के संबंध में, जिसके लिए यह आदेश कोई प्रावधान नहीं करता है या अपर्याप्त प्रावधान करता है, और आयोग की राय में प्रावधान आवश्यक है चुनावों का सुचारू और व्यवस्थित संचालन "।

दोनों गुटों को समान प्रतीकों का आवंटन, जब प्रतीक आदेश के तहत विवाद अभी भी उसके समक्ष लंबित था। यह तर्क दिया गया था कि चुनाव आयोग एक बार विवाद का फैसला करने के बाद ऐसा नहीं कर सकता है। इस प्रस्ताव से सहमत होने में कोई कठिनाई नहीं है कि एक बार निर्वाचन आयोग द्वारा विवाद का अंत में निर्णय हो जाने के बाद, उसके (निर्वाचन आयोग) द्वारा अनुच्छेद 18 के तहत शक्तियों को लागू करने का सवाल ही नहीं उठेगा। हालाँकि, यदि विवाद ईसीआई के समक्ष जांच के लिए लंबित है या ईसीआई का अंतिम निर्णय है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के हित में एक न्यायसंगत व्यवस्था प्रदान करते हुए संवैधानिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में उप-न्याय

और सभी संबंधितों को समान स्तर का खेल का मैदान प्रदान करना एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवस्था होगी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत पूर्ण शक्तियां 2 1982 (1) एस. सी. सी. 691 [2019] 3 एस. सी. आर. का निःशुल्क संचालन सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान स्थिति के साथ।

और निष्पक्ष चुनाव। यह तब अधिक होगा जब दोनों गुटों के बीच विवाद अभी भी विचाराधीन है। निर्विवाद रूप से, द्वारा शक्ति का प्रयोग रिट अदालत के अंतरिम निर्देशों का पालन करना ईसीआई का संवैधानिक दायित्व होगा।

23. हम प्रतिवादी संख्या 1 (आवेदक) के तर्क में बल पाते हैं।

कि जिस समूह से वह संबंधित है, यदि वह खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लेता है, तो वह कदम कई कठिनाइयों से भरा होगा। सबसे पहले, मान्यता पंजीकरण के बाद नहीं आती है। इसके लिए राजनीतिक दल को प्रतीक आदेश में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। दूसरा, मान्यता के बिना पंजीकृत राजनीतिक दल को एक साझा चुनाव चिन्ह नहीं मिल सकता है। तीसरा, यह उचित और उचित नहीं हो सकता है कि अलग हुए समूह को एक वास्तविक राजनीतिक दल के अपने दावे को छोड़ने के लिए कहा जाए जब तक कि विवाद का अंत में सक्षम अदालत द्वारा निपटारा नहीं किया जाता है। अधिकारिता, जो पंजीकरण की मांग का परिणाम होगा। चौथा, निर्वाचित प्रतिनिधि जो समूह के सदस्य हैं,

एक नए राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय कुछ घोषणाएं देने के कारण अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। नतीजतन, एक अंतरिम व्यवस्था जो न्यायसंगत और निष्पक्ष होगी और दूसरे समूह के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगी, जिसे वर्तमान में निर्वाचन आयोग द्वारा वास्तविक राजनीतिक दल, अर्थात् ए. आई. ए. डी. एम. के. के रूप में मान्यता दी गई है, अनिवार्य है।

24. इस तर्क को पुष्ट करने के लिए कि निर्वाचन आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक न्यायसंगत व्यवस्था प्रदान करने के लिए व्यापक शक्तियां हैं, जनता दल (यूनाइटेड) के मामले में चुनाव आयोग द्वारा 17 जनवरी, 2000 को पारित अंतरिम आदेश पर भरोसा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी के दो समूहों को अलग-अलग नामों और प्रतीकों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जो इस प्रकार हैः

" भारत के चुनाव आयोग का अंतरिम आदेश दिनांक 17 जनवरी, 2000

आयोग ने दूसरी प्रार्थना पर भी विचार किया है

जनता दल (यूनाइटेड) ने बिहार विधानसभा के आगामी आम चुनाव में जनता दल (यूनाइटेड) के नाम का उपयोग करने की अनुमति दी। आयोग पहले ही 8 जनवरी, 2000 को बिहार विधानसभा के आम चुनाव के साथ-साथ विधानसभा के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर चुका है। हरियाणा, उड़ीसा और मणिपुर की विधानसभाएँ और कुछ अन्य राज्यों के लोक सभा और विधानसभाओं के लिए कई उपचुनाव। इन के लिए समय सारिणी के अनुसार डापाडी के. पलानीस्वामी बनाम।

टी. टी. वी. दिनकरन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

मणिपुर में निर्वाचन क्षेत्र संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा 17 जनवरी, 2000 को जारी किए जाने हैं। इन अधिसूचनाओं के जारी होने के साथ ही सभी दलों द्वारा उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया उसी दिन शुरू होगी और 24 जनवरी, 2000 को समाप्त होगी। 24 जनवरी को ही बिहार में 108 अन्य विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ दूसरे चरण के चुनाव हुए। उड़ीसा में 70 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव और विभिन्न राज्यों में दो संसदीय और 30 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव भी शुरू होंगे। यदि आयोग 18 जनवरी, 2000 को पक्षों द्वारा दायर की जाने वाली लिखित दलीलों पर विचार करने के बाद वर्तमान मामले में कोई निर्णय लेता है, तो वह निर्णय भी दिया जा सकता है।

बिहार और मणिपुर में चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि और चुनाव की शुरुआत

उस राज्य में चुनाव के दूसरे चरण के साथ-साथ अन्य राज्यों में चुनाव 24 जनवरी, 2000 से शुरू हो रहे हैं। यह न केवल संबंधित दलों को बल्कि सभी संबंधित राज्यों में चुनाव अधिकारियों को भी भ्रम और अराजकता की स्थिति में डाल देगा। इन परिस्थितियों में आयोग का विचार किया गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों और निष्पक्षता और निष्पक्ष कार्रवाई के हित में, अंतरिम व्यवस्था जो वर्तमान मामले में 7 अगस्त, 1999 के अंतरिम आदेश द्वारा की गई थी, उसके अंतिम निपटारे तक जारी रहना चाहिए। इसलिए, जनता दल (यूनाइटेड) की दूसरी प्रार्थना अपने नाम जनता दल (यूनाइटेड) का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए है।

आगामी आम चुनावों की मंजूरी भी इसके द्वारा दी जाती है।

8. तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि अगले आदेश तक (i) श्री एच. डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाले जनता दल के समूहों को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती रहेगी, और प्रतीक "किसान ड्राइविंग ट्रैक्टर" बना रहेगा।

इसके लिए आरक्षित;

((ii) श्री शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल का समूह एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती रहेगी, और प्रतीक "तीर" इसके लिए आरक्षित रहेगा।

(जोर दिया गया)

19] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. हालाँकि, चुनाव लड़ने वाले प्रत्यर्थियों ने मादेवा उपेंद्र सिनाई और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। बनाम।

भारत संघ और Ors.[3], जो कराधान कानून (केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक) आदेश, 1970 में विनियमन के उद्देश्य से संबंधित थे। इससे तुलना करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि पैराग्राफ 18 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियों का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है जो प्रतीकों के आवंटन के संबंध में प्राथमिक वैधानिक योजना के साथ हिंसा करे। सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग के अनुच्छेद 18 को लागू करके उचित निर्देश पारित करने के लिए सक्षम है

प्रतीक आदेश और/या संविधान के अनुच्छेद 324 के समक्ष विवाद के लंबित रहने के दौरान, क्या निर्णय की वैधता के दौरान रिट अदालत के लिए उचित अंतरिम निर्देश पारित करने में कोई बाधा हो सकती है?

चुनाव आयोग उसके समक्ष विचाराधीन है। निस्संदेह, उच्च न्यायालय के पास न केवल चुनाव आयोग के निर्णय के संचालन पर रोक लगाने का पर्याप्त अधिकार क्षेत्र है, बल्कि किसी भी स्थिति में निर्वाचन आयोग द्वारा पारित अंतरिम आदेश के संदर्भ में प्रदान की गई व्यवस्था को भी जारी रखने का अधिकार क्षेत्र है, जिसे निर्वाचन आयोग ने स्वयं विवाद के लंबित रहने के दौरान निर्देशित किया था।

26. जो भी हो, इस मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1 रिट याचिकाकर्ता ईसीआई के अंतिम निर्णय के संचालन पर रोक की बड़ी राहत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है जो सीधे समूह को प्रभावित करेगा।

प्रत्यर्थी संख्या 1, विशेष रूप से जब ऐसी राहत किसी अन्य व्यक्ति या दल के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगी और न ही चुनाव आयोग की शक्तियों का उल्लंघन करेगी। 27. विशेष रूप से, केरल कांग्रेस (विलय विरोधी समूह) के मामले में, चुनाव आयोग ने विलय विरोधी समूह को 25 मार्च, 2011, फाइल No.56/04/2010 के संचार के माध्यम से नामों और आरक्षित प्रतीकों का उपयोग करने की अनुमति दी थी, जो इस प्रकार हैः

3 (1975) 3 एस. सी. सी. 765 (अनुच्छेद 36-40)

दपाडी के. पलानीस्वामी बनाम। टी. टी. वी. ध्यानकरण [ए. एम. खानविलकर, जे.]

" सचिवालय

भारत का चुनाव आयोग

निर्वाण सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001।

तारीखः 25 मार्च, 2011

फाइल No.56/04/2010

को।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

केरल,

तिरुवनंतपुरम।

विषयः आम चुनाव के लिए सामान्य प्रतीक का आवंटन

केरल विधान सभा को, 2011-के बारे में।

महोदया,

मुझे इस विषय पर 25.03.2011 दिनांकित पत्र का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है।

केरल कांग्रेस के अध्यक्ष से प्राप्त उद्धृत (विरोधी)

विलय समूह) और यह बताना कि आयोग ने निर्णय लिया है 'सीलिंग फैन' प्रतीक आवंटित करने के लिए इसके आदेश दिनांक 24.03.2011 की शर्तें

'केरल कांग्रेस (विलय विरोधी समूह)' को आरक्षित प्रतीक के रूप में

विधान सभा के लिए चल रहे आम चुनाव के लिए

केरल, 2011।

2. सभी निर्वाचन अधिकारियों को उपरोक्त राशि आवंटित करने का निर्देश दिया जा सकता है।

केरल कांग्रेस द्वारा स्थापित उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से प्रतीक (विलय विरोधी समूह) के पैरा 13 के प्रावधानों की पूर्ति पर

चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968

पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की स्थापना से संबंधित और यह भी सुनिश्चित करना कि

कि उक्त प्रतीक किसी अन्य उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया गया है।

आपकी वफादारी

से,

एसडी /

प्रमोद कुमार शर्मा

(अवर सचिव) "

28. उत्तराखंड क्रांति दल के मामले में भी अलग-अलग नाम हैं।

चुनाव आयोग द्वारा दो लोगों को चुनाव चिह्न आवंटित किए गए

os संचार के माध्यम से No.56/17/2011/PPS-II/Vol.IV, दिनांक 31 तारीख

एम. बी. आर., 2011 जो इस प्रकार हैः

" भारत का चुनाव आयोग

निर्वाण सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 31 सेंट दिसंबर, 2011

56 / 17 / 2011 / पीपीएस-II/Vol.IV [2019] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

को।

उत्तराखंड, देहरादून।

विषयः उत्तराखंड क्रांति दल के दो समूहों के नामों का आवंटन और उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव के लिए उन्हें प्रतीकों का आवंटन-संबंधित।

साहब,

आयोग के दिनांक 27.12.2011 के आदेश के अनुसरण में, उत्तराखंड क्रांति दल के दो समूहों का नेतृत्व श्री. त्रिवेन्द्र सिंह पवार और श्री. दिवाकर भट्ट ने आवेदन जमा किए हैं। उनके संबंधित दलों के नाम और प्रतीक के बारे में। आयोग ने श्री के नेतृत्व वाली पार्टी के नाम के रूप में "उत्तराखंड क्रांति दल (पी)" को मंजूरी दी है। त्रिवेंद्र सिंह पवार और

उत्तराखंड विधान सभा, 2012 के वर्तमान आम चुनाव के लिए उक्त पार्टी के लिए आरक्षित प्रतीक के रूप में 'कप और सॉसर' चिह्न आवंटित किया गया।

2. इसके अलावा, आयोग ने श्री के नेतृत्व वाली पार्टी के नाम के रूप में "जनतांत्रिक उत्तराखंड क्रांति दल" को भी मंजूरी दी है। दिवाकर भट्ट ने वर्तमान आम चुनाव के लिए अपने आरक्षित प्रतीक के रूप में 'पतंग' चिह्न आवंटित किया है। उत्तराखंड विधानसभा, 2012।

3. इसे राज्य के सभी चुनाव अधिकारियों को सूचित किया जा सकता है। सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया जा सकता है कि वे पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की स्थापना से संबंधित चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 के प्रावधानों को पूरा करने पर उपरोक्त दलों द्वारा स्थापित उम्मीदवारों को विशेष रूप से ऊपर निर्दिष्ट प्रतीक आवंटित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त प्रतीक की अनुमति किसी अन्य उम्मीदवार को नहीं है।

4. उत्तराखंड क्रांति दल (पी) और जनतांत्रिक उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा प्रस्तुत पदाधिकारियों की सूचियाँ संलग्न हैं।

5. इस पत्र की प्रति दोनों पक्षों को तुरंत दी जा सकती है।

आपकी वफादारी

से,

(प्रमोद कुमार शर्मा)

सचिव के तहत "दपद्दी के. पलानीस्वामी बनाम। टी. टी. वी. दिनकरन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

29. देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम के मामले में और

बनाम। भारत के चुनाव आयोग ने, 27 मार्च, 2009 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 2008 में, अंतरिम व्यवस्था के माध्यम से अदालत ने शुरू में निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी किए थे -

जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

" आदेश

डब्ल्यू. पी. (C) No.532/2008, W.P.No (C) No.132/2009 और SLP (C) Nos.7379-80/2009 डब्ल्यू. पी. (सी) No.532/2008 मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा दायर किया जाता है और डब्ल्यू. पी. नंबर (सी) No.132/2009 एक अन्य पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा दायर किया जाता है।

यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित है जबकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की जाती हैं। इन सभी मामलों में रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं और विशेष अनुमति याचिकाओं में प्रतिवादियों ने एक अंतरिम अनुरोध किया। आंध्र प्रदेश राज्य और तमिलनाडु राज्य में आम चुनाव पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं और आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी चुनाव हैं और तमिलनाडु राज्य में केवल लोकसभा के लिए आम चुनाव हैं। विवादित आदेश द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि सभी पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पक्ष

"राजनीतिक दल" को चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968, पैरा 2 (एच) में परिभाषित किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में आयोग के साथ व्यक्तिगत नागरिकों का संघ या निकाय। राष्ट्रीय पार्टियाँ, राज्य पार्टियाँ और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियाँ हैं और प्रतीक निम्नलिखित के तहत आवंटित किए जाते हैं -

चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968। राष्ट्रीय दलों के साथ-साथ राज्य दलों के अपने सामान्य प्रतीक हैं, जबकि पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों को स्वतंत्र प्रतीक दिए जाते हैं। अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों का चयन और आवंटन चुनाव प्रतीकों (आरक्षण) के पैरा 12 के अनुसार किया जाता है।

और आवंटन) आदेश, 1968।

तीन राजनीतिक दल जो अपने वरिष्ठ वकील के माध्यम से हमारे सामने पेश हुए हैं, वे हैं देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम।

(डी. एम. डी. के.) पार्टी, प्रजा राज्यम पार्टी और लोकसत्ता पार्टी और 3 एस. सी. आर.

उन्होंने तर्क दिया कि वे सभी 292 में उम्मीदवारों को भरेंगे

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और लोकसभा की 42 सीटें

आंध्र प्रदेश में और लोकसभा की 39 सीटों के लिए तमिलनाडु और एक लोकसभा सीट पांडिचेरी में है। यह हमारे ध्यान में लाया जाता है कि इन तीनों राजनीतिक दलों को एक साझा अधिकार दिया जाए।

प्रत्येक प्रतीक। जबकि डी. एम. डी. के. ने 'नगर' के प्रतीक को प्राथमिकता दी।

जो Sl.no पर है। 41 मुक्त प्रतीकों की सूची में, जबकि प्रजा

राज्यम पार्टी ने 'रेलवे इंजन' के प्रतीक को प्राथमिकता दी जो Sl.no पर है। 43 स्वतंत्र प्रतीकों और लोकसत्ता पार्टी की सूची में

'व्हिसल' के प्रतीक को प्राथमिकता दी जो Sl.no पर है। 59 सूची में

मुक्त प्रतीक।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.3.2009 इस हद तक रोक लगा दी गई है कि चुनाव आयोग

सभी पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों द्वारा भरे जाने वाले सभी उम्मीदवारों को एक सामान्य प्रतीक देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा

चुनाव आयोग एक सामान्य प्रतीक दे सकता है, जैसा कि संकेत दिया गया है।

इससे पहले, आदेश, 1968 के पैराग्राफ 12 में दी गई सामान्य शर्तों के अधीन, विशेष रूप से -

'12 (ख) यदि उन कई उम्मीदवारों में से कोई भी किसी के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और सभी स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवारों में से एक ऐसे चुनाव से तुरंत पहले सदन का एक मौजूदा सदस्य है या था।

लोक, या, यथास्थिति, विधान सभा के, और पिछले चुनाव में जब उन्हें ऐसे सदस्य के रूप में चुना गया था, तो उन्हें वह स्वतंत्र प्रतीक आवंटित किया गया था, निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार को वह स्वतंत्र प्रतीक आवंटित करेगा, और किसी और को नहीं।

इन राजनीतिक दलों द्वारा भरे जाने वाले उम्मीदवारों को किसी विशेष दल द्वारा विधिवत अधिकृत निर्धारित प्रपत्र जमा करना होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये तीनों राजनीतिक दल इस प्रतीक के संबंध में कोई वरीयता प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं और भविष्य में जब इसके लिए नियमित प्रतीक का आवंटन होगा तो कोई समानता नहीं दी जाएगी।

निर्वाचन आयोग के समक्ष विचार। यह केवल एक

अंतरिम व्यवस्था।

यह आदेश केवल इन तीन पक्षों तक ही सीमित है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस अंतरिम राहत को बाद (ऊपर पैराग्राफ 17 में निकाला गया) तक जारी नहीं रखा गया था। इसके अलावा, उक्त रिट याचिकाएं डापाडी के. पलानीस्वामी बनाम।

टी. टी. वी. दिनकरन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

30. इसी तरह, विदुथलाई चिरुथाइगल काची बनाम भारत के आयोग के मामले में, 2009 की रिट याचिका (सिविल) No.177 में27 अप्रैल, 2009 के आदेश में, इस न्यायालय ने प्रतीक आवंटित करने के लिए आयोग को निर्देश जारी किए थे जो इस प्रकार हैंः

" आदेश

यह याचिका तमिलनाडु राज्य में एक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विदुथलाई चिरुथाइगल काची द्वारा दायर की गई है। यह चिदंबरम और विल्लुपुरम के लिए अपने उम्मीदवारों को प्रायोजित कर रहा है।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और उम्मीदवारों ने भी

उसी के लिए अपने नामांकन पत्र जमा किए। याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि पार्टी को एक सामान्य चुनाव प्रतीक दिया जाए ' इन दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 'स्टार'। चुनाव आयोग की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रार्थना का विरोध किया और यह प्रस्तुत किया कि प्रतीक 'तारा' मिज़ो नेशनल फ्रंट का एक आरक्षित प्रतीक है, जो राज्य में एक राजनीतिक दल है।

आगामी चुनावों को देखते हुए, याचिकाकर्ता विदुथलाई चिरुथाइगल काची को इसके लिए 'तारा' प्रतीक दिया जा सकता है।

चिदंबरम और विल्लुपुरम निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतीक के इस आवंटन से जब प्रतीक के आवंटन का सवाल उठेगा तो याचिकाकर्ता-राजनीतिक दल के पक्ष में कोई अतिरिक्त अधिकार या हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। यह विशुद्ध रूप से आगामी संसदीय चुनाव के उद्देश्य के लिए है। हालांकि, अगर

उम्मीदवार। याचिकाकर्ता इस आदेश को संप्रेषित करने के लिए स्वतंत्र होगा

टेलीग्राफ से।

रिट याचिका का निपटान तदनुसार किया जाता है।

31. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मामले में, पैराग्राफ प्रतीक आदेश के लिए उत्तरदायी कार्यवाही में प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच संबंध तय करने के बाद, अलग हुए समूह को ईसीआई राष्ट्रीय दल द्वारा मान्यता दी गई और इसके परिणामस्वरूप, प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 18 के तहत अभ्यास में निर्देश जारी किए गए। वही पढ़ता है

" तदनुसार, मैं चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 15 के तहत मानता हूं और निर्णय लेता हूं कि उस आदेश के उद्देश्यों के लिए, श्री जगजीवन राम के नेतृत्व वाला समूह

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका प्रतीक "दो खरीददार" है

योक ऑन के साथ "आरक्षित किया गया है।

श्री निजलिंगप्पा के नेतृत्व वाले समूह के पास पर्याप्त संख्या में लोक सभा में और विभिन्न राज्य विधानसभाओं में सदस्य और क्योंकि वह समूह चुनाव को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने की पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करता है और पूरा करता है।

चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 18 द्वारा आयोग, और उस ओर से इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियां, मैं मानता हूं और निर्णय लेता हूं कि श्री निजलिंगप्पा के नेतृत्व में समूह पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी संबंधित चुनाव अधिकारियों को आवश्यक निर्देश और निर्देश जारी किए जाएंगे और पैराग्राफ के तहत एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

17 चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968, जैसे ही वह समूह चुनाव आयोग से संपर्क करता है।

राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसके लिए एक प्रतीक का आरक्षण, जिसका नाम कम से कम किसी तरह से नाम से अलग होना चाहिए।

" भारत राष्ट्रीय कांग्रेस "।

32. श्री एन. चंद्र बाबू नायडू बनाम श्रीमती के मामले में।

तथापि, भारती निर्वाचन आयोग ने मार्च, 1996 के आदेश के माध्यम से मुद्दा संख्या 2 पर विचार करते हुए इसका उत्तर दिया।

मुझे निम्नलिखित शब्दों में:

" मुद्दा 2: यदि समूह में से किसी एक को मान्यता प्राप्त है

असली तेलुगु देशम पार्टी के रूप में, क्या है

दूसरे समूह की स्थिति? क्या यह समाप्त हो गया है कोई रेलेफ?

टियन लॉ रिपोर्ट्स, वॉल्यूम। 47 (1974)

ई. डी. पी. ए. डी. के. पलानीस्वामी बनाम। टी. टी. वी. दिनकरन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अब जब राजनीतिक दलों के प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करने में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणों के अनुसार, और इसलिए विधायी शाखा और संगठन शाखा के अधिकांश सदस्यों को ध्यान में रखते हुए, इस आयोग ने श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले समूह को वास्तविक तेलुगु देशम पार्टी के रूप में माना है, यदि इस आदेश के परिणामस्वरूप, श्रीमती लक्ष्मी पार्वती के नेतृत्व में प्रतिवादी समूह एक अलग पार्टी बनाने का निर्णय लेता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के तहत अपना पंजीकरण चाहता है, तो आयोग इसे न केवल उक्त अधिनियम के तहत पंजीकरण देने के लिए तैयार होगा, बल्कि आंध्र प्रदेश राज्य में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता भी देगा। इस तरह की राहत समूह को पूरा करने के अधीन होगी
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण आयोग को आवेदन करने की औपचारिकताएं। उन्हें आयोग को अपनी ताकत का सकारात्मक सबूत भी देना चाहिए, और 1994 में राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में आरक्षित प्रतीक के आवंटन का दावा करने के लिए इसके सदस्यों द्वारा डाले गए मतों के संबंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत करने चाहिए। इस तरह की राहत न केवल निष्पक्ष खेल, न्याय और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप है, बल्कि ऐसे मामलों में आयोग के पिछले अभ्यास और पूर्ववर्ती के अनुरूप भी है।

ठीक से आदेश दिया गया "

यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि यह भारत के चुनाव आयोग का अंतिम निर्णय था, न कि चुनाव के आदेश का मामला। आयोग को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और वह चुनौती अभी भी लंबित थी।

33. वास्तव में, यदि राजनीतिक समूह 1951 के अधिनियम की धारा 29 ए के तहत पंजीकृत नहीं है और प्रतीकों के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं है

आदेश, 1968, यह एक सामान्य प्रतीक के आवंटन का दावा करने का हकदार नहीं हो सकता है जो एक पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राज्य/राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए आरक्षित है। यही सार है। पैराग्राफ 9 से 11 ऐसे पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पर लागू होंगे जो आरक्षित प्रतीक का विकल्प प्रदान करते हैं। अपंजीकृत या गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी से संबंधित किसी भी अन्य उम्मीदवार या उम्मीदवार के लिए, उसके दावे को निम्नानुसार निपटाया जाएगाः

प्रतीक आदेश, 1968 का अनुच्छेद 12। निकटतम प्रावधान है

प्रतीक आदेश का अनुच्छेद 15, जो राजनीतिक दल के विभाजित समूहों या प्रतिद्वंद्वी गुटों के संबंध में चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित है। लेकिन एक बार उस विवाद का जवाब चुनाव [2019] 3 एस. सी. आर. द्वारा दिया जाता है।

आयोग और वह निर्णय अंतिमता प्राप्त करता है, विभाजित समूह के पास एक राजनीतिक दल के रूप में खुद को पंजीकृत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा और प्रतीक आदेश, 1968 के पैराग्राफ 6 ए से 6 सी में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही, जैसा लागू हो, एक राष्ट्रीय या राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

34. वर्तमान मामले में, चुनाव आयोग का निर्णय

उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और प्रत्यर्थी संख्या 1 (रिट याचिकाकर्ता) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मूल पंजीकृत मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल होने के समूह या गुट का दावा उसके परिणाम के अधीन होगा। उस समय तक, इस बात का कोई उचित कारण नहीं है कि 22 मार्च, 2017 के अंतरिम आदेश के संदर्भ में चुनाव आयोग द्वारा आदेशित अंतरिम व्यवस्था समूह पर क्यों लागू होती है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रतिनिधित्व, जारी नहीं रहना चाहिए।

35. हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सामान्य प्रतीक होने की प्रभावकारिता

श्री सादिक अली और अन्न में एक राजनीतिक समूह को रेखांकित किया गया है। बनाम। भारत का चुनाव आयोग, नई दिल्ली और अन्य। में।

उक्त निर्णय के अनुच्छेद 21 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 21. XXX

XXX यह सर्वविदित है कि

XXX

अधिकांश मतदाता अनपढ़ हैं। यह.

यह महसूस किया गया था कि निरक्षरता की बाधा को देखते हुए, यह हो सकता है

अनपढ़ मतदाताओं के लिए अपना वोट डालना संभव नहीं है

उनकी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में जब तक कि वहाँ था

मतपत्र पर ही कुछ सचित्र प्रतिनिधित्व

जिसके द्वारा ऐसे मतदाता अपने उम्मीदवार की पहचान कर सकते हैं

चयन करें। तदनुसार प्रतीकों का उपयोग किया गया। प्रतीक या प्रतीक चुनाव कानून की एक विशिष्ट विशेषता नहीं हैं

भारत। XXX XXX इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रक्रिया

चुनाव यथासंभव वास्तविक और निष्पक्ष है और कि नहीं

निर्वाचक को अपना वोट डालने में किसी भी तरह की बाधा का सामना करना चाहिए

अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में। हालांकि उद्देश्य

जिन प्रतीकों की उत्पत्ति सीमित थी

चरित्र, मार्ग के साथ प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रतीक समय ने एक महान मूल्य अर्जित किया क्योंकि अधिकांश

निर्वाचक मंडल ने उस समय राजनीतिक दल को संबद्ध किया था

अपने प्रतीक के साथ चुनाव।

X

XX "

XXX

(जोर दिया

गया)

6 (1972) 4 एस. सी. सी. 664 डापाडी के. पलानीस्वामी बनाम। टी. टी. वी. दिनकरन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

फिर से पैराग्राफ 40 और 41 में यह इस प्रकार देखा गया हैः

" 40. XXX

यह होगा,

XXX

XXX

इसलिए, इस बात का पालन करें कि आयोग ने कपड़े पहने हैं मामले में उपर्युक्त नियमों द्वारा पूर्ण शक्तियाँ

प्रतीकों का आवंटन। XXX XXX

यदि आयोग को व्यायाम करने से अक्षम नहीं किया जाना है

प्रभावी रूप से पूर्ण शक्तियाँ जो इसके मामले में निहित हैं

प्रतीकों का आवंटन और इस संबंध में निर्देश जारी करने के लिए

इसके साथ, यह स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि आयोग के लिए दावे के मामले में विवाद को निपटाने की शक्ति है

एक राजनीतिक दल के प्रतीक का आवंटन दो लोगों द्वारा किया जाता है।

विरोधी दावेदार। XXX XXX पैरा 15 को प्रभावी बनाने का इरादा है

और प्रतीकों के मुख्य उद्देश्यों और उद्देश्यों को पूरा करते हैं

आदेश दें। अनुच्छेद यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि क्योंकि

एक राजनीतिक दल में दोनों के बीच उत्पन्न हुए विवाद का

या अधिक समूह, प्रतीक आदेश की पूरी योजना के लिए आरक्षित प्रतीक के आवंटन से संबंधित

द.

राजनीतिक दल शून्य पर नहीं है।

XXX

XXX

आयोग संविधान द्वारा निर्मित एक प्राधिकरण है और

अनुच्छेद 324 के अनुसार, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण

संसद के लिए निर्वाचक नामावली और चुनाव का संचालन

और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और कार्यालय के चुनावों के लिए

तथ्य यह है कि दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच विवाद को हल करने की शक्ति एक राजनीतिक दल के प्रतीक के आवंटन के लिए समूहों को निहित किया गया है

इस तरह के एक उच्च प्राधिकरण में एक धारणा होगी, हालांकि खंडन योग्य, और एक गारंटी प्रदान करते हैं, हालांकि पूर्ण नहीं लेकिन एक

काफी हद तक, कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा लेकिन

इसका प्रयोग निष्पक्ष और उचित तरीके से किया जाएगा। 41. XXX XXX XXX अनुच्छेद 324 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है

कि चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण

चुनाव आयोग में निहित किया जाए। XXX

(जोर दिया गया)

36. इस निर्णय का पालन कन्हियालाल उमर बनाम में किया गया है।

त्रिवेदी और Ors.7 और उसके पैराग्राफ 10 में, अदालत ने कहा

" 10. यह सच है कि हाल तक संविधान में स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था

राजनीतिक दलों के अस्तित्व को संदर्भित करें। लेकिन उनका अस्तित्व है

सरकार के लोकतांत्रिक रूप की प्रकृति में निहित जो

हमारे देश ने इसे अपनाया है। प्रतीक का उपयोग, चाहे वह गधा हो

या एक हाथी, के बीच एक एकीकरण प्रभाव को जन्म देता है

एक समान राजनीतिक और आर्थिक लोगों के साथ

कार्यक्रम और अंततः एक की स्थापना में मदद करता है

वेस्टमिंस्टर प्रकार का लोकतंत्र जिसे हमने अपनाया है

के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी एक मंत्रिमंडल

लोग जो निचले सदन का गठन करते हैं। राजनीतिक दलों

गहन है कि प्रशासन का परिवर्तन वास्तव में एक होगा एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत छद्म क्रांति। इसमें कोई शक नहीं

एक विरोधाभास है कि जबकि पूरे देश में किसी अन्य के लिए उपज नहीं है

राजनीतिक व्यवस्था दल के आधार पर संगठित होती है-दूसरे शब्दों में, " व्यवस्थित मतभेदों और अनसुलझे संघर्षों पर "। वह यह है कि

हमारी प्रणाली का सार और यह एक की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है

संविधान द्वारा इसमें किए गए संशोधन (पचास-द्वितीय) संशोधन) अधिनियम, 1985 की अब स्पष्ट मान्यता है -

संविधान द्वारा राजनीतिक दल। दसवीं अनुसूची

राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार करता है और निर्धारित करता है परिस्थितियां जब संसद या राज्य का कोई सदस्य

विधायिका को उनके राजनीतिक दल से अलग माना जाएगा।

पार्टी और इस प्रकार एक सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा संबंधित सदन। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि संदर्भ

प्रतीकों द्वारा राजनीतिक दलों की मान्यता, पंजीकरण आदि

आदेश अनधिकृत है और द्वारा अपनाई गई राजनीतिक प्रणाली के खिलाफ है हमारा देश। "

(जोर दिया गया)

37. मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद, हम हैं

राय दी कि 28 तारीख के आदेश के संदर्भ में जारी किया गया निर्देश

एच, 2018, के विद्वान एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को रखने के लिए

न्यायालय दिनांक 9 मार्च, 2018 को स्थगन में और इसके परिणामस्वरूप ई. डी. ए. पी. ए. डी. डी. के. पलानीस्वामी बनाम.

टी. टी. वी. दिनकरन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

निर्वाचन आयोग को प्रत्यर्थी संख्या 1 (रिट याचिकाकर्ता) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राजनीतिक समूह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अपना आदेश देने से रोकने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, चुनाव आयोग राजनीतिक समूह द्वारा पसंद किए गए आवेदन पर कार्रवाई करेगा।

9 मार्च, 2018 के उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 1-टी. टी. वी. डी. (रिट याचिकाकर्ता) और प्रतिवादी संख्या 3-वी. के. एस. द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया और इसे तेजी से अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया गया। 38. हालाँकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट याचिका पर सुनवाई लगभग अंतिम चरण में पहुँच गई है, हम राहतों को निम्नलिखित शब्दों में ढालना उचित समझते हैं:

(क) यदि रिट याचिका का आज से चार सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अंत में निपटारा नहीं किया जाता है, तो भारत का चुनाव आयोग 9 मार्च, 2018 के अंतरिम आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 (रिट याचिकाकर्ता) द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए समूह के आवेदन पर कार्रवाई करेगा और उससे दो सप्ताह के भीतर (यानी आज से चार सप्ताह और दो सप्ताह) उचित निर्देश जारी करेगा।

(ख) उक्त अवधि की समाप्ति से पहले, चुनाव आयोग के लिए कोई भी प्रेस नोट या अधिसूचना जारी करने का इरादा रखता है।

तमिलनाडु राज्य या संसदीय क्षेत्र में रिक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में उपचुनाव की घोषणा करना। 2019 के
लिए चुनाव, जैसा भी मामला हो, यह उचित रूप से पारित होगा।

उच्च न्यायालय के 9 मार्च, 2018 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में निर्देश, ऐसी प्रेस नोट या अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर और किसी भी मामले में, नामांकन दाखिल करने के लिए अधिसूचित तिथि से पहले, जो भी पहले हो।
38. विविध अनुप्रयोग का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

कोई लागत नहीं।

देविका गुजराल

एम. ए. को हटा दिया गया।